(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्टम विधान सभा के द्वितीय सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

1 2

मंगलवार,

दिनांक 6 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 1977-78

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1977-78 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. भूतपूर्व सरकार ने गत 30 मार्च को इस वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत कर, संविधान के अनुच्छेद 206 के अन्तर्गत राज्य का खर्च चलाने हेतु 6 माह के लिए लेखानुदान स्वीकृत करवाया था। यह अवधि 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हो रही है। अतः अब चालू वर्ष की विभिन्न परिवर्तित मांगों पर विधान सभा की स्वीकृति वांछनीय है ।

3. सन् 1977 का पूर्वार्ध भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। इसमें संपादित लोक सभा तथा विधान सभाओं के आम चुनावों में जनमत ने जो ऐतिहासिक करवट ली, उसकी चपेट में पिछले तीस वर्षों से राज्य सत्ता में अडिग रूप से जमे हुए कांग्रेस दल का शासन समाप्त हो गया तथा राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर जनता दल एवं जनता सरकारों का अभ्युदय हुआ। राष्ट्रपिता गांधीजी के आदर्शों तथा लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा का संबल लेकर इस दल ने देश के जन मानस में एक नई आशा और उमंग का सृजन किया है। इस राज्य में जनता सरकार का यह पहला बजट इस युग परिवर्तनकारी कालसंधि के अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः बीते हुए युग की नैतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक गतिविधियों पर एक विहंगम दृष्टि डालना समीचीन होगा ।

4. स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान गांधीजी ने जिन नैतिक व राजनैतिक आदर्शों व मूल्यों की स्थापना की थी गत 30 वर्षों में उनका

(श्री आदित्येन्द्र)

उत्तरोत्तर ह्रास होता गया । धीरे-धीरे कांग्रेस दल की कथनी व करनी के बीच के विशाल अंतराल में हमारे राष्ट्रीय आदर्श एवं लक्ष्य सर्वथा लुप्त हो गए । लोकसत्ता व राज्यसत्ता के बीच एक गहरी दरार पड़ गई और प्रजातन्त्र का जो भ्रष्ट स्वरूप तथाकथित एवं तथाजनित आपातकाल में सामने आया उसने तो इतिहास के स्वेच्छाचारी और तानाशाही शासनों को भी मात कर दिया ।

5. आर्थिक क्षेत्र में गांधीजी के स्वावलम्बन की ओर बढ़ने वाले ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकरण तथा अन्त्योदय के सिद्धान्त, विशाल उद्योगों की स्थापना के प्रयत्नों में जाने कहां ओझल हो गए । आर्थिक सत्ता कतिपय हाथों में केन्द्रित हो गई । अधिकाधिक जनसंख्या गरीबी के रसातल में डूब गई और सामने रह गए विदेशी छाप समाजवाद के थोथे निष्क्रिय नारे तथा पाश्चात्य पूंजीवाद की अनुकृति स्वरूप कुछ पूंजीपुत्र, श्रमिक-शोषक, गरीबी के समुद्र में थिरकते हुए बड़े उद्योगों के दैत्याकार ढांचे ।

6. यह तो हुई संक्षेप में समूचे राष्ट्र की राजनैतिक व आर्थिक स्थिति की बात । इससे हट कर जब हम अपने राजस्थान की आर्थिक हालत पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि यह प्रदेश अपने प्रचुर प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी विकास की पंक्ति में लगभग सारे प्रदेशों के नीचे खड़ा है । 'नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च' नामक संस्था के हाल ही में किये हुए एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान में 56.30 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 42.43 प्रतिशत है। इसी प्रकार यहां के 81 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 58 प्रतिशत कृषक गरीबी के स्तर से नीचे हैं । शिक्षा की दृष्टि से सारे देश में हमारा 21वां स्थान है । विद्युतीकरण तथा प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के मामले में हमारा देश में 15वां स्थान है । सिंचाई, रासायनिक खाद तथा उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग एवं यातायात के साधनों के विकास के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय औसत से हम बहुत नीचे हैं । पिछली लगभग एक-चौथाई शताब्दी में विकास पर लगभग साढ़े बारह अरब रुपये का व्यय करने के बाद भी यहां के लगभग 33,000 ग्रामों में से लगभग 7,000 ग्रामों में पीने के पानी का कोई साधन नहीं है, लगभग 9,000 ग्रामों में पेयजल खारा या दूषित है और लगभग 3,000 ग्रामों में पेयजल नारू आदि कीड़ों से संकुलित है ।

7. बेरोजगारी और गरीबी से ग्रसित इस राजस्थान को हमने एक श्रमबहुल विकेन्द्रित, गांधीवादी, ग्रामोन्मुखी अर्थव्यवस्था देने का संकल्प किया है । यह एक कठिन मोड़ एवं दुर्गम लक्ष्य है तथा इसका मार्ग दुस्तर एवं चुनौतीपूर्ण है । पर हमें विश्वास है कि जनता के सहयोग एवं परिश्रम के बल पर हम इसे निकट भविष्य में ही प्राप्त करने में सक्षम होंगे ।

8. राज्य के आय-व्ययक के अनुमानों के स्वरूप में सरकार की आर्थिक नीतियां प्रतिबिम्बित होनी चाहिए किन्तु प्रस्तुत परिवर्तित अनुमान हम इस वित्तीय वर्ष के लगभग मध्य में प्रस्तुत कर रहे हैं । पिछली सरकार की बनाई हुई योजनाओं को, जिनमें

(श्री आदित्येन्द्र)

से अधिकांश केन्द्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं, हम बीच वर्ष में कोई प्रभावशाली मोड़ नहीं दे पाएंगे। तथापि हमने नई सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर प्रस्तुत अनुमानों में यथासंभव अधिक जोर देने का प्रयत्न किया है।

परिवर्तित योजना 1977–78

9. 1976–77 में राज्य की योजना पर लगभग 168 करोड़ रुपये व्यय हुए। पिछली सरकार ने इस वर्ष की योजना का आकार भी 168 करोड़ रुपये ही निर्धारित किया था। इसको बढ़ाकर हमने 196.53 करोड़ रुपये का बना दिया है। इस प्रकार योजना व्यय में शेष वर्ष के लिए ही 17 प्रतिशत वृद्धि की गई है। जिन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में ये वृद्धियां की गई हैं उनसे हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। योजना के विभिन्न मदों पर अनुमानित व्यय की तुलनात्मक सारिणी निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)

मद	बजट प्रावधान 1977–78	परिवर्तित बजट प्रावधान 1977–78	प्रतिशत वृद्धि
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	18.45	22.52	22.06
2. सहकारिता	1.78	1.88	5.62
3. सिंचाई एवं विद्युत विकास योजनाएं	105.85	115.35	8.97
4. उद्योग एवं खनिज	4.31	5.65	31.09
5. परिवहन एवं संचार	9.87	15.25	54.51
6. सामाजिक सेवाएं	27.11	35.15	29.66
7. अन्य	0.63	0.73	15.87
योग	168.00	196.53	16.98

Page No 4

(4)

(श्री आदित्येन्द्र)

अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोजन

10. 196.53 करोड़ रुपये के योजनार्थ रखे हुए प्रावधानों के अतिरिक्त केन्द्र संचालित योजनाओं पर 32.72 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। राज्य में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए हुए ऋणों से भी कई योजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि, दुग्ध व उद्योग सम्बन्धी योजनाओं के लिए ऋण देंगे एवं सहकारी बैंक लघु, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण वितरित करेंगे। राजस्थान भूमि विकास बैंक भी भूमि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देगा। इसके अतिरिक्त आई. डी. बी. आई., जीवन बीमा निगम आदि संस्थाओं से भी ऋण सुलभ होंगे। इन संस्थाओं की सहायता से इस वर्ष 183.59 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विनियोजन होने का अनुमान है। इन सभी विनियोजनों से राज्य के आर्थिक आधार को विकसित करने में लगभग 412 करोड़ रुपये का परिव्यय होने की सम्भावना है।

11. केन्द्रीय सरकार ने 1-4-78 से विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली योजनाओं के लिए राज्य सरकार को मिलने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी है, अतः राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं हाथ में ली जायं।

बजट अनुमान 1977–78

12. पिछली सरकार ने मार्च के अन्त में जो बजट प्रस्तुत किया था, उसमें 21.22 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दिखाया था। घाटे को कम बताने के प्रयत्न में सरकार ने 21 करोड़ रुपये की ऐसी उपलब्धियों को जमा की ओर बता दिया था, जिनके आने की कोई निश्चित आशा या आश्वासन नहीं था। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार ने बजट में प्रावधान किये बिना ही 11.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की अनियमित घोषणाएं कर दीं। बजट की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि चुनावी लाभों के प्रलोभन में एक माह के अल्प समय में ही पिछली सरकार ने लगभग 14.52 करोड़ रुपये की छूटें तथा अतिरिक्त व्यय का भार स्वीकृत कर वित्तीय उच्छृंखलता की पराकाष्ठा कर दी। इन सबको मिलाकर पिछली सरकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में लगभग 67.78 करोड़ रुपये का घाटा था। यदि पिछले वर्ष में रहे 7.48 करोड़ रुपये का घाटा इसमें और जोड़ दिया जाय तो हमारी धरोहर लगभग 75.26 करोड़ रुपये की ऋणात्मक वित्तीय स्थिति बन जाती है। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि गत सरकार ने अपने बहिर्गमन के पहिले बिना वित्तीय प्रावधान किये हुए केवल अनापशनाप खर्च घोषित ही नहीं किए, बल्कि अप्रेल माह में ही 2.54 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि में से उनके लिए अग्रिम देकर वित्तीय असंयम के बेमिसाल कीर्तिमान भी स्थापित कर दिए।

परिवर्तित बजट अनुमान 1977–78

13. मैं जो आय व व्यय के परिवर्तित अनुमान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उनमें राजस्व खाते में कुल 454.19 करोड़ रुपये के बजाय 448.26 करोड़ रुपये की आय बताई गई है तथा राजस्व खाते का

(श्री आदित्येन्द्र)

व्यय 442.84 करोड़ रुपये के बजाय 456.93 करोड़ रुपये बताया गया है। इस प्रकार राजस्व खाते में पूर्व में बताई गई 11.35 करोड़ रुपये की बचत की तुलना में अब 8.67 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है तथा पूंजी लेखे में पूर्व प्रदर्शित 32.57 करोड़ रुपये का घाटा बढ़ कर 52.44 करोड़ रुपये हो गया है। अतः समग्र घाटा अब 61.11 करोड़ रुपये का है जिसमें पिछले वर्ष से आए हुए 7.48 करोड़ रुपये के घाटे को जोड़ने से कुल घाटा 68.59 करोड़ रुपये हो जाता है, जो पूर्व सरकार के द्वारा निर्मित 75.26 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में संतोषजनक है। इस घाटे की पूर्ति के प्रयत्नों के बारे में मैं आगे चल कर बताऊंगा।

14. राजस्व खाते में आय घटने के प्रमुख कारण भूतपूर्व सरकार द्वारा विद्युत् मण्डल का खर्च बढ़ाने और आमदनी कम करने के निर्णय हैं जिनसे कुल मिलाकर विद्युत् मण्डल के वित्तीय स्रोतों पर 5.60 करोड़ रुपयों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान है। जनता सरकार द्वारा 2.50 हैक्टेयर तक की असिंचित जोतों को लगान से मुक्त करने के निर्णय से भी राजस्व आय में कमी हुई है।

15. बजट अनुमान 1977-78 में राजस्व व पूंजी खातों में कुल मिलाकर 'सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं' 'आर्थिक सेवाओं' तथा 'सामान्य सेवाओं' पर समग्र व्यय 608.77 करोड़ रुपये आंका गया था। परिवर्तित अनुमानों में इन सेवाओं पर अब 649.82 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है।

15. विकास व्यय का अनुमान 415.36 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 450.96 करोड़ रुपये रखा गया है। यह वृद्धि हमारी सरकार के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर की गई है। इनमें से निम्न मदों पर वृद्धियां उल्लेखनीय हैं।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

17. नई सरकार कृषि विकास पर विशेष बल देना चाहती है क्योंकि राजस्थान के लगभग 80 प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यों पर आधारित है। इसलिए इस मद में पूर्व अनुमानों की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(I) कृषि-उत्पादन

18. राजस्थान के अल्प एवं सीमान्त जोत के कृषकों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। इन कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु केन्द्रीय सरकार की सहायता से 6 जिलों में लघु कृषक विकास अभिकरण कार्य कर रहे हैं। इनके अलावा 10 जिलों में सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनके माध्यम से अल्प व सीमांत जोत के कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को बैंक विनियोग पर अंशदान दिया जा रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात की उद्घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार शेष 10 जिलों के अल्प एवं सीमान्त जोत के कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के विकास के लिए अपने ही साधनों से अभिकरणों की स्थापना करेगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए इसी वर्ष राज्य सरकार ने झालावाड़, टोंक, बूंदी, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, सिरोही व कोटा जिलों में ऐसे अभिकरण खोलने के लिए

(श्री आदित्येन्द्र)

परिवर्तित बजट में 40 लाख रुपये का प्रावधान किया है। कृषि, लघु सिंचाई तथा पशुपालन आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत अभी तक 1.5 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। चालू वर्ष में इन 16 अभिकरणों के माध्यम से लगभग 35,000 और कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा तथा लगभग 8 करोड़ रुपये के ऋण 80,000 लघु तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकों को दिलवाने की व्यवस्था हो सकेगी।

19. सूखा सम्भावित क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले वर्ष के 9.70 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में इस वर्ष 14.18 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। मरुस्थल विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के आग्रह पर 3.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का आश्वासन दिया है, जिसका प्रावधान इन अनुमानों में सम्मिलित है।

(II) पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन

20. इस वर्ष 50 नये पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं तथा बछड़ा-पालन, सुअर-पालन, कुक्कुट–पालन व भेड़–पालन की अनेक योजनायें हाथ में ली जा रही हैं। भेड़–पालन व ऊन सहकारी संघ के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। जिन लोगों से दूध खरीदा जा रहा है उनकी संख्या लगभग 60,000 से बढ़कर 80,000 हो जाने की आशा है। दूध संग्रह, जो अभी ढाई लाख लीटर प्रतिदिन है, इस वर्ष के अन्त तक चार या साढ़े चार लाख लीटर प्रतिदिन हो जाने का अनुमान है। श्वेत क्रान्ति की इन योजनाओं से गांवों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकेगा।

(III) वन विकास एवं वृक्षारोपण

21. पिछले 30 वर्षों में राजस्थान में वनों का अपार संहार हुआ है: 35,891 वर्ग किलोमीटर जंगलात के इलाके में से लगभग दो–तिहाई बंजर या नष्ट हो गया है। फलस्वरूप ग्रामवासियों के लिए ईंधन, कृषि के लिये औजार आदि बनाने के लिए लकड़ी की बड़ी कमी हो गई है। अतः नई सरकार वन-विकास एवं संरक्षण व वृक्षारोपण पर विशेष बल देना चाहती है। वन–विकास की योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 1.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनके द्वारा लगभग 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाड़ लगाकर खाली स्थानों पर वृक्षारोपण आदि करवाये जाने का लक्ष्य है।

22. इसके अतिरिक्त ग्राम्य वनों के विकास की एक और योजना हाथ में ली गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 200 ग्रामों में हर ग्राम के 10 से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में उपयोगी वृक्ष, झाड़ियां और घास लगाई जायगी। प्रत्येक ग्राम को अपनी गोचर भूमि तथा अन्य सिवाय चक भूमि में जंगल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा। उनको इस कार्य के लिये वृक्षों की टहनियां या छोटे वृक्ष मुफ्त में दिये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट में इस योजना को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा।

23. सड़कों के किनारे जिन किसानों के खेत हैं उन्हें वहां वृक्ष लगाने की अनुमति नहीं है। राजस्व विभाग इस सम्बन्धी कानून में संशोधन कर रहा है जिससे किसान अपने

(श्री आदित्येन्द्र)

खेतों के किनारे सड़कों के सहारे फलों के तथा अन्य उपयोगी वृक्ष लगा सकें तथा उनके फलों आदि के उपयोग का अधिकार उनका ही रहे । आशा है, इस प्रकार राज्य की अधिकांश सड़कों के दोनों ओर उपयोगी वृक्षों की अटूट पंक्तियां लग जाएंगी ।

सिंचाई एवं विद्युत् विकास

24. राज्य के कृषि उत्पादन में वृद्धि काफी हद तक सिंचाई व विद्युत् विकास पर निर्भर है । परिवर्तित बजट में सिंचाई व विद्युत् विकास के मद में भी 9.50 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है ।

(I) सिंचाई

25. हमारे प्रांत में अनेकों सिंचाई योजनाओं पर कार्य चालू है और काफी पूंजी विनियोजन कर देने के बावजूद हमें वास्तविक लाभ इन्हें त्वरित गति से पूरा कर उपयोग में लाने पर ही मिल सकेगा । चालू सिंचाई परियोजनाओं में राजस्थान नहर, माही एवं जाखम परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से 5.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है । इसके अतिरिक्त माही परियोजना के लिए गुजरात सरकार के हिस्से की लागत के पेटे 1.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है । मध्यम सिचाई योजनाओं के लिए भी 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि परिवर्तित बजट अनुमानों में रखी गई है ।

(II) लघु सिंचाई योजना

26. चालू वर्ष 1977–78 में विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं से करीब 4,000 नए कुओं के निर्माण, 1,400 कुओं को गहरा करना, 4,000 कुओं पर पम्प सैट लगाना एवं 1,10,000 मीटर पक्की नालियों के निर्माण का प्रावधान है । इन कार्यों के लिए 650 लाख रुपये के ऋण वितरण की संभावना है । गत वर्ष इन योजनाओं के लिए लगभग 393 लाख रुपये के ऋण वितरण करा कर 2,390 नए कुए खोदे गये, 731 कुए गहरे किये गये, 3,760 कुओं पर पम्प सैट लगाये गये और 14,000 मीटर पक्की नालियाँ बनाई गई थीं ।

(III) विद्युत् विकास

27. विद्युत्–विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि से इस साल 1,200 नई बस्तियों व 15,000 नए कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 1,500 बस्तियों एवं 20,000 कुओं को बिजली सुलभ कराने का लक्ष्य चालू वर्ष के लिए रखा जा रहा है । इसकी पूर्ति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान परिवर्तित बजट अनुमानों में सम्मिलित किया गया है । हाल ही में केन्द्रीय वित्त मन्त्री जी की अध्यक्षता में बैंकों द्वारा विकास कार्यों में सहयोग को आंकने के लिए उत्तर क्षेत्र के राज्यों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें मुख्य मन्त्रीजी व मैंने विद्युत् प्रसार की योजनाओं के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण देने की व्यवस्था पर जोर दिया था । फलस्वरूप कुछ व्यावसायिक बैंकों ने लगभग 3 करोड़ रुपये के ऋण सिंचाई हेतु कुओं के विद्युतीकरण के लिए देने का आश्वासन दिया है । इसके अतिरिक्त ए. आर. डी. सी. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर अधिक कुओं में बिजली देने की व्यवस्था पर प्रगति हो रही है । जीवन बीमा निगम से इस वर्ष विद्युत् मंडल को 3 करोड़ रुपये का अति-

(श्री आदित्येन्द्र)

रिक्त ऋण मिलने की आशा है। इसको मिलाकर कोटा तापघर योजना पर इस वर्ष लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है। जहां ट्रांसफार्मर की कमी से अधिक कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, वहां इनका भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

उद्योग एवं खनिज

(I) लघु उद्योग

28. शिक्षित वर्ग में बेकारी और बेरोजगारी भीषण विभीषिका बन गई है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि ऐसे नवयुवकों को स्वावलम्बन का प्रोत्साहन मिले और उन्हें रोजगार सुलभ हो, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक विशेष योजना बनाने का कार्य हाथ में लिया है जिससे शिक्षित उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ मार्जिन मनी उपलब्ध कराने हेतु 50 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

29. राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। पिछली केन्द्र और राज्य की कांग्रेस सरकारें राजस्थान के औद्योगिक विकास के प्रति उदासीन रहीं। राजस्थान के 26 जिलों में से 16 जिले भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किए गए हैं, जहां रियायती दर तथा आसान किश्तों पर लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध होता है। इन 16 जिलों में से अलवर, जोधपुर, चूरू, नागौर, भीलवाड़ा, एवं उदयपुर के 6 जिलों को केन्द्र सरकार ने चयनित पिछड़े जिले माना है और वहां स्थापित उद्योगों को 15 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस प्रकार की सुविधा राज्य के सभी पिछड़े जिलों में उपलब्ध हो। अतः यह निर्णय किया गया है कि ऐसे अनुदानों की सुविधा शेष 10 जिलों जालौर, सीकर, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, टौंक झालावाड़ और बाड़मेर में भी राज्य के अपने ही साधनों से उपलब्ध कराई जाय। इस हेतु परिवर्तित बजट अनुमानों में 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यदि आवश्यकता हुई तो इन प्रावधानों में और भी बढ़ोतरी की जा सकेगी।

30. उद्योग विभाग से लघु एवं कुटीर उद्योगों की विकास योजना के अन्तर्गत मशीनों आदि की खरीद के लिए ऋण लेने वालों को वर्तमान में मशीनों एवं सम्पत्ति आदि का बीमा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी के साथ कराना आवश्यक है। इस शर्त के कारण ग्रामीण अंचलों में बीमा सुविधा के अभाव में छोटे उद्योग धंधा चलाने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5,000 रुपये तक का ऋण लेने वालों के लिए अब सम्पत्ति एवं मशीन आदि का बीमा कराना आवश्यक नहीं होगा। इसके एवज में उद्योग विभाग एक नई बीमा निधि स्थापित करेगा और ऋण लेने वाले व्यक्ति से बहुत साधारण राशि लेकर इस कोष में रखेगा। यदि आग, चोरी, बाढ़ एवं दंगों के कारण मशीन अथवा सम्पत्ति को कोई हानि होगी तो उसकी पूर्ति इस कोष से की जा सकेगी।

31. भारत सरकार द्वारा समर्थित हाथ करघा उद्योग की सघन योजना पर कार्य चल रहा है। 1977-78 के अन्त तक कुल

Page No 9

(9)

(श्री आदित्येन्द्र)

6,000 उन्नत करघे स्थापित करने का लक्ष्य है। यह योजना अभी केवल 8 ही जिलों में लागू है। अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी ही योजना अन्य जिलों में भी लागू की जाय। इसके लिए परिवर्तित अनुमानों में 10.50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे 1,000 उन्नत किस्म के हाथ करघे और लगाए जा सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष करीब 8,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

32. देश के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत ऊन राजस्थान में होता है। यह ऊन विशेष रूप से श्रम-प्रधान गलीचा उद्योग के लिए उपयुक्त है। राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से राज्य सरकार गलीचा उद्योग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चला रही है। निगम द्वारा दस ऐसे केन्द्र शुरू किये जा चुके हैं तथा पांच और नए केन्द्र निगम के माध्यम से इस वर्ष चालू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए परिवर्तित अनुमानों में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

(II) ग्रामोद्योग

33. राजस्थान में श्रम-प्रधान खादी कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में ऊनी खादी का उत्पादन 1.50 करोड़ रुपये और बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए खादी कमीशन व बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। बैंकों से लिए जाने वाले ऋण पर खादी बोर्ड एवं खादी कमीशन द्वारा ब्याज दिया जाएगा ताकि संस्थाओं को पूर्व की तरह ब्याज रहित ऋण मिल सके। इसके अतिरिक्त 7,500 चरखे एवं 350 करघे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए भी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस व्यवस्था से 7,500 लोगों को पूर्ण अथवा आंशिक रोजगार मिलेगा और वह भी अधिकांशतः ऐसे क्षेत्रों में जहां रोजगार के दूसरे साधन बहुत ही सीमित हैं।

34. ग्रामोद्योग क्षेत्र में खादी बोर्ड एवं खादी कमीशन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तेल, चर्म, खनन इत्यादि क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि ग्रामोद्योगों का वर्तमान उत्पादन जो कि पिछले वर्ष करीब 7 करोड़ रुपये का था, इस वर्ष 10 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा। इससे करीब 1,000 लोगों को और रोजगार मिलेगा। अन्य प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी खादी कमीशन से वार्ता चल रही है। खादी बोर्ड को भी इस दिशा में अधिक गतिशील करने हेतु प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(III) खनिज विकास

35. राजस्थान में खनिजों का अपार भंडार है जिसके समुचित दोहन एवं सदुपयोग से काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। खानों के विकास में सबसे बड़ी बाधा यातायात की कठिनाइयां हैं। खानों को उपागमन सड़कों से जोड़ने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम इस वर्ष प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है जिसके अन्तर्गत अगले वर्ष के अन्त तक 210 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 41.50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। नए खनन क्षेत्र आबंटित करने का कार्य भी चालू

(श्री आदित्येन्द्र)

है और ऐसा अनुमान है कि इससे करीब 10,000 व्यक्तियों को विभिन्न जिलों में अतिरिक्त कार्य उपलब्ध होगा।

36. उद्योग एवं खनिज विकास कार्यक्रमों पर व्यय हेतु बजट अनुमानों में 13.86 करोड़ रुपये के प्रावधान को परिवर्तित अनुमानों में बढ़ाकर 15.44 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

परिवहन एवं यातायात

37. राज्य के आर्थिक विकास में सड़कों व परिवहन व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस कार्यक्रम के लिए 16.44 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों को 36 प्रतिशत बढ़ा कर परिवर्तित अनुमानों में 22.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(I) सड़कें

38. सदन के माननीय सदस्यों को उनके क्षेत्रों में सड़के अधूरी रहने की अथवा कमी की आम शिकायत रहती है। पिछली सरकार ने गांवों को सड़कों से जोड़ने का कोई क्रमवद्ध व समयबद्ध लक्ष्य नहीं बनाया था जिसके अभाव में सड़क निर्माण एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में ही अपनाया गया बल्कि राजनैतिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर तदर्थ रूप मे चलाया जाता रहा। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 31-3-75 तक स्वीकृत सभी सड़क निर्माण कार्यों को इस वर्ष पूरा किया जाय। साथ ही, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत तथा परिगणित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत सभी सड़कें इस वर्ष पूरी की जायं। इस प्रयोजनार्थ 1.04 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है।

39. गांवों को सड़कों से जोड़ने का एक नया कार्यक्रम भी इस साल लागू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत पांच हजार एवं उससे अधिक आबादी वाले गांव 31-3-1979 तक पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे। इन कार्यक्रमों की अनुमानित लागत 4.80 करोड़ रुपये के पेटे परिवर्तित अनुमानों में 1.50 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने भी प्रारंभ करने का संकेत दिया है। इस सम्बन्ध में फिलहाल 1 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान परिवर्तित बजट में किया गया है। इससे दुग्ध वितरण योजनाओं के क्षेत्रों के गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ा जायेगा। इस वर्ष इन संस्थाओं द्वारा देय अपने हिस्से की राशि को मिला कर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत की सड़कें बन सकेंगी।

41. कोटा में चम्बल नदी पर पुल, बांसवाड़ा रतलाम सड़क पर डाइवर्सन एवं माही नदी पर पुल के निर्माण के लिए भी 1.34 करोड़ रुपये कि धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

(II) परिवहन

42. सड़क परिवहन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 50 लाख रुपये की अतिरिक्त पूंजी विनियोजन का प्रावधान किया जा रहा है। भारत सरकार भी इसका 50 प्रतिशत प्रावधान करेगी। इसके आधार पर निगम राष्ट्रीयकरण को लगभग 34.08 प्रतिशत से बढ़ाकर 41 प्रतिशत कर देगा तथा निगम के पास बसों की संख्या 1,691 से बढ़ कर लगभग 1,950 हो जाएगी।

(श्री मादित्येन्द्र)

सामाजिक सेवाएं

43. सामाजिक सेवाओं के प्रावधानों में भी पूर्वपेक्षा 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की गई है। इन सेवाओं पर 188.74 करोड़ रुपये के बजाय परिवर्तित बजट अनुमानों में 201.70 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

(I) शिक्षा

44. शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 19.7 था। जम्मू–कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर देश के सभी राज्यों से यह प्रतिशत कम है। इस पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में 520 नई प्राथमिक शालाएं खोलने, 410 प्राथमिक शालाओं को उन्नत कर मिडिल स्कूल बनाने तथा 350 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में उन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त तीस माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नये विषय और कुल मिलाकर 130 नये सेक्शन खोलने की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान की स्थापना के समय कुल 7 स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे, पिछले लगभग 27 वर्षों में उनमें कुल 12 की वृद्धि की गई। नई सरकार ने केवल इस वर्ष ही 15 स्नातक महाविद्यालयों को उन्नत कर स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार पिछले 27 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने केवल 60 नये स्नातक महाविद्यालय खोले थे जब कि नई सरकार ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में ही 12 नये स्नातक महाविद्यालय खोल दिये हैं। इनके अतिरिक्त दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में इस वर्ष 8 नये विषय और 100 नये सेक्शन बढ़ाये गये हैं। इसी प्रकार तीनों विश्वविद्यालयों में भी आवश्यकतानुसार नये सेक्शन खोलने की अनुमति दी गई है। पिछली सरकार ने इस सम्बन्धी जो थोथी घोषणाएं चुनाव में फायदा उठाने के उद्देश्य मात्र से बिना वित्तीय प्रावधान जुटाए ही की थीं, उनको साकार एवं सक्रिय करने के लिए शिक्षा के मद में इस वर्ष के शेष महीनों के लिए ही लगभग 3.73 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता व बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिक विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही है। आशा है, शीघ्र ही इस सम्बन्धी एक राष्ट्रीय योजना बनेगी जिसमें राजस्थान भी अपना पूरा योगदान देगा।

45. शिक्षा के मद में 99.08 करोड़ रुपये के स्थान पर परिवर्तित अनुमानों के अनुसार 102.81 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

(II) चिकित्सा

46. चिकित्सा सेवाओं की दृष्टि से राज्य में 10 लाख की आबादी पर केवल 71 डाक्टर हैं, जब कि देश में यह औसत 119 है। गांवों में यह सुविधा शहरों से भी अपेक्षाकृत कम है। वहां 10 लाख की आबादी पर केवल 32 डाक्टर उपलब्ध हैं। इस प्रकार लगभग 31,241 लोगों पर केवल एक डाक्टर है। अतः इस वर्ष 200 नये आयुर्वेदिक औषधालय, 105 नये एलोपैथिक औषधालय व 203 नये एड–पोस्ट खोले जाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान रखा गया है। जिन गांवों में स्थाई

(श्री आदित्येन्द्र)

चिकित्सा की सुविधा नहीं है, उनकी सेवार्थ तीन चल आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी स्थापित किये जा रहे हैं।

(III) ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं

47. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु भारत सरकार ने एक योजना इस वर्ष प्रारम्भ करने का निश्चय किया है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में राज्य के प्रत्येक जिले में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चयनित कर इसके अन्तर्गत 1,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। यह योजना 2 अक्टूबर, 1977 को गांधी जयन्ती से प्रारम्भ की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा तथा इन्हें प्रशिक्षण-काल में 200/- रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् ये कार्यकर्ता अपने कार्य के अतिरिक्त ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

(IV) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

48. राज्य में मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वर्ष और अधिक प्रभावी कदम उठाये गये हैं जिनके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में अब एक-एक मलेरिया इकाई स्थापित कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए जोधपुर, कोटा, बीकानेर तथा अजमेर के अलावा भरतपुर एवं जयपुर में भी मलेरिया नियन्त्रण योजना लागू कर दी गई है। रक्त पट्टियों की जांच में विलम्ब को दूर करने के लिए जिला मुख्यालयों के लेबोरेटरी टैक्नीशियनों के सभी पद 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थानांतरित कर दिये गये हैं।

49. चिकित्सा सुविधाओं पर परिवर्तित अनुमानों में अब 29.93 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, जो 28.44 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 1.49 करोड़ रुपये अधिक है।

(V) पेयजल व्यवस्था

50. राजस्थान के 62 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी या तो नहीं है अथवा खारा है। नई सरकार ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के अनुमानों में 5 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह पुराने अनुमानों की अपेक्षा लगभग 63 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार पूर्वनिश्चित 300 ग्रामों के स्थान पर अब हम 450 ग्रामों में इस वर्ष पेयजल उपलब्ध करवा सकेंगे। पेयजल की समस्या को अधिक व्यापक तथा त्वरित ढंग से सुलझाने के लिए राज्य सरकार एक जलदाय निगम बनाने का विचार कर रही है ताकि विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जीवन बीमा निगम और व्यावसायिक बैंकों से भी कम ब्याज पर अधिक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की जा सके। हमें आशा है कि इस कार्य में केन्द्रीय सरकार से भी अधिक सहायता शीघ्र ही प्राप्त होगी। इस वर्ष के संशोधित अनुमान बनाते समय इस सहायता व ऋण की सीमाओं के भीतर इस क्षेत्र में अतिरिक्त प्रगति के कदम उठाये जाएंगे। नगरीय जल वितरण व्यवस्था को भी अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य की सूखा संभावित क्षेत्रों की योजनाओं, मरुस्थल विकास योजनाओं तथा आदिम जाति एवं जनजाति विकास योजनाओं में भी पेयजल सम्बन्धी प्रावधान रखे गए हैं।

(श्री आदित्येन्द्र)

(VI) अतिवृष्टि द्वारा हानि

51. राजस्थान में बहुधा सूखे के कारण अकाल पड़ता आया है, किन्तु इस वर्ष प्रकृति का कोप कई जिलों में अतिवृष्टि बनकर सामने आया है। इसके फलस्वरूप जयपुर, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए तथा सड़कों, बांधों व नहरों आदि की मरम्मत के लिए और भविष्य में अतिवृष्टि द्वारा इतना विनाश न हो इसकी रोक-थाम के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए निर्धारित राशि में से इस वित्तीय वर्ष के परिवर्तित बजट में 5.90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा है।

(VII) रोजगार

52. बेरोजगारी व गरीबी का चोली-दामन जैसा सम्बन्ध रहता है। नियोजन कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1977-78 के आरंभ में 2,68,681 लोग रोजगार की तलाश में थे किन्तु सारे बेरोजगार, खास-तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, इन रजिस्टरों में अपने नाम नहीं लिखवा पाते हैं, अतः बेरोजगारों की वास्तविक संख्या इन आंकड़ों से कहीं अधिक है। जनता सरकार ने अगले दस वर्षों में इस समस्या का पूर्ण हल निकालने का संकल्प किया है। 1977–78 के बजट में विकास के मदों में जो प्रावधान किए गए हैं उनसे इस वर्ष में शिक्षित तथा प्रशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलेगा। शिक्षा विभाग में ही लगभग 250 प्राध्यापक, 2,300 वरिष्ठ एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापक, 500 तृतीय श्रेणी के अध्यापक तथा 300 वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग में 110 डाक्टर, 600 कम्पाउन्डर तथा ए.एन.एम., 200 वैद्य एवं 200 उप-वैद्यों की नियुक्ति की जाएगी। पशुपालन विभाग में 50 पशु चिकित्सकों, 50 स्टाकमेनों की नियुक्ति की जा सकेगी। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किए जाने से बहुत से इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट एवं डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मोटे तौर पर अनुमान है कि सिंचाई, जल प्रदाय तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में ही लगभग 300 इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट तथा डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को रोजगार मिल पाएगा।

53. आशा है कि पूर्व निर्धारित 2.96 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लक्ष्य के मुकाबले अब विकास व्यय की मदों में अधिक विनियोजन के फलस्वरूप इस वर्ष लगभग 5.36 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे, जिसमें अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होंगे।

(VIII) अन्त्योदय

54. यह सर्वविदित है कि पिछली सरकार की अधिकांश विकास योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों को ही मिला है और गरीब तथा अमीरों के बीच की खाई गहरी व चौड़ी होती चली जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए समाज के सबसे दीन दरिद्र अकिंचन लोगों के हित में एक नई योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत अधिकारीगण ग्राम की स्वायत्त संस्थाओं तथा जन प्रतिनिधियों की मदद से राजस्थान के लग-

(श्री आदित्येन्द्र)

भग तैंतीस सहस्त्र गांवों में से प्रत्येक में पांच सबसे गरीब परिवारों को छाटेंगे। इसके बाद इन लोगों को उत्पादन का कोई न कोई साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भूमिहीन है उसे उसी ग्राम में आवंटन योग्य भूमि में से प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी। तत्पश्चात् उस भूमि को विकसित करने तथा उस पर उत्पादन शुरू करने के लिए साधन जुटवाए जाएंगे। जो कारीगर हैं उन्हें अपने पेशे में काम आने वाले छोटे-मोटे-यंत्र ऋण और अनुदान के रूप में दिलवाए जाएंगे। कुछ लोगों को उत्तम किस्म की गाय या भैंस ऋण स्वरूप उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे उसका दूध बेचकर वे जीवनयापन करने लगें। इन कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास, मरुस्थल विकास अथवा लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक सुधार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें सन्निहित वित्तीय प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। इन योजनाओं में ऐसे लोगों के लिए वित्तीय सहायता सुलभ कराने में कोई कमी न रहे, इस हेतु परिवर्तित अनुमानों में 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा जा रहा है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि संशोधित अनुमानों में और उपलब्ध करा दी जाएगी।

55. इस योजना के अन्तर्गत लगभग डेढ़ लाख गरीब परिवार, जिनमें से अधिकांशतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार होंगे, स्वावलम्बन के निकट आ जाएंगे। अगले पांच वर्षों में इन परिवारों की संख्या आठ लाख के लगभग पहुंच जाएगी। इस प्रकार राजस्थान की जनसंख्या के लगभग 15 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेंगे। क्रियान्वयन के अनुभव के आधार पर वार्षिक लक्ष्यों में वृद्धि भी की जा सकती है।

56. इसके अतिरिक्त जो साधनहीन वृद्ध या अपंग आदि हैं उनके लिए वृद्धावस्था तथा अक्षमता पेंशन के वर्तमान प्रावधान को बढ़ा कर अब एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारी कल्याण

I. आवासन व सवारी ऋण

57. वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए वेतन अग्रिम मिलने के साथ-साथ ही मध्यम एवं अल्प आय भवन निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत भी ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस व्यवस्था से आम जनता को पर्याप्त ऋण सुविधा नहीं मिल पाती है। रिहायशी मकानों की कमी तथा भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में राज्य कर्मचारियों को इस प्रयोजनार्थ केवल एक ही स्रोत से ऋण सुविधा उपलब्ध होगी एवं मध्यम व अल्प आय योजना के अन्तर्गत ऋण केवल आम जनता को ही दिए जाएंगे। एतदर्थ राज्य कर्मचारियों के लिए आवासन ऋण की राशि में 1.03 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार सवारियों के लिए दिए जाने वाले ऋण की राशि में भी 60 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

Page No 15

(श्री आदित्येन्द्र)

II पेंशन में वृद्धि

58. वर्तमान पेन्शनरों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के पेन्शनरों की पेन्शन में 1–4–77 से निम्न दरों पर वृद्धि करने का निश्चय किया है:–

1. 120/– रुपये माहवार से कम पेंशन पाने वालों के लिए	5/– रु. प्रति माह वृद्धि
2. 120/–रु. माहवार से लेकर 500/– रु. से कम पेंशन पाने वालों के लिए	10/– रु. प्रति माह वृद्धि
3. 500/– रु. प्रति माह और इससे अधिक पेंशन पाने वालों के लिए	15/– रु. प्रति माह वृद्धि

III-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पेन्शनरों को भुगतान

59. दिनांक 1–7–77 से पेन्शनरों की इच्छानुसार उनकी पेंशन राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से मिलने लग गई है। इसयोजना की विशेषता यह है कि पेंशन की राशि बिना बिल पेश किए ही हर माह उनके खाते में जमा होती जाएगी।

IV-पुलिस हितकारी निधि

60. पुलिस के जवानों की सहायतार्थ 'पुलिस हितकारी निधि' में राज्य सरकार की ओर से योगदान की राशि 1.75 लाख प्रति वर्ष से बढ़ा कर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

V-वेतन श्रृंखलाओं के उच्चतम बिंदु पर रुके हुए कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि

61. वेतन श्रृंखला में उच्चतम वेतन [illegible] श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए नियमों में अब यह प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी 1-9-76 या इसके बाद अपनी वेतन श्रृंखला के उच्चतम बिन्दु पर रुक गए हैं या रुक जाएंगे, उनको प्रति तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। ऐसी वेतन वृद्धियां दो से अधिक नहीं मिल सकेंगी। इस प्रकार की सुविधा देने में राजस्थान अन्य सारे राज्यों में अग्रणी है।

(vi) चिकित्सा व्यय पुनर्भरण

62. आपातकाल के दौरान जिन दवाइयों का रुग्णावस्था में सेवन जरूरी समझा जाकर उनके ऊपर होने वाले खर्च का भुगतान सरकार किया करती थी, उनकी सूची इस प्रकार बना दी गई थी कि उससे राज्य कर्मचारियों तथा चिकित्सकों को बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। इस सूची में अब समुचित सुधार कर दिया गया है।

(श्री आदित्येन्द्र)

मद्यनिषेध

63. भूतपूर्व सरकार की नीति मद्य-निषेध के बारे में ढिलमिल ही रही है। मद्य-पान के माध्यम से होने वाली आय को पूर्व-वर्ती सरकार विकास के लिए आवश्यक साधन समझती रही। संविधान में दिए हुए इस सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त एवं स्वयं द्वारा घोषित नीति की भी वह सर्वथा अवज्ञा करती रही। इसलिए 1962 में केन्द्र सरकार ने मद्यनिषेध के कारण होने वाली आबकारी आय की क्षतिपूर्ति की जो योजना घोषित की थी, उसका भी लाभ नहीं उठाया गया।

64. हमारी सरकार का इस विषय में यह दृढ़ मत है कि मद्यपान समाज की एक भयंकर बुराई और व्यक्ति की प्रबल कमजोरी है। गरीबों के परिवारों में तो यह लत घुन की तरह घुस कर उनका सर्वनाश कर रही है। अतः हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम पूर्ण मद्यनिषेध के लक्ष्य को निकट भविष्य में ही प्राप्त करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : "निकट भविष्य" कौन सा है ?

श्री खेतसिंह : "निकट भविष्य" पूरा तो सुनने दीजिये ?

श्री मूलचन्द डागा : आज ही घोषणा कर दें।

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मद्यनिषेध परिषद् ने सारे देश के लिए अधिक से अधिक चार वर्ष की सीमा निश्चित की है। राजस्थान इस क्षेत्र में इस अवधि के पूर्व ही पहल कर अगुआ बनने का निश्चय कर चुका है।

श्री खेतसिंह : इस साल क्या कर रहे हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : 65. वर्तमान में राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, चूरू, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर जिले तथा उदयपुर जिले की झाड़ोल, खैरवाड़ा, कोटरा, गोगुन्दा, धरियावद व सराड़ा तहसीलों में पूर्ण मद्यनिषेध है।

66. अब हमने संकल्प किया है कि आगामी गांधी जयन्ती के पूर्व प्रातः से ही अर्थात् 1 अक्टूबर, 1977 से टोंक व बून्दी जिले तथा कोटा जिले की किशनगंज व शाहबाद, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ व उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसीलों में भी पूर्ण मद्यनिषेध लागू हो जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : पाली जिले को कर दें।

श्री आदित्येन्द्र : 67. मैंने आपको अभी बताया है कि इस वर्ष का समग्र घाटा 61.11 करोड़ रुपये का होगा। इस स्थिति को देखते हुए हमने प्रशासनिक खर्चों में यथासंभव बचत करने के लिए प्रत्येक विभाग के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय की विस्तृत समीक्षा प्रारंभ कर दी है। समयाभाव से यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। नई सरकार ने सारे फालतू व दिखावटी खर्चों को कम करने का दृढ़ निश्चय किया है। यह सर्वविदित है कि विभागों के अनेकीकरण से खर्चों में वृद्धि होती है। प्रत्येक विभाग चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपने अपने क्षेत्र और आकार का विस्तार करता रहताहै। इस प्रवृत्ति से कार्यक्षमता घटती है और व्यय बढ़ता है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए

(श्री आदित्येन्द्र)

विभाग इसी प्रकार पैदा हो गए। अतः अब इनके पुनर्समन्वय करने पर विचार हो रहा है। आशा है, शीघ्र ही भाषा विभाग का शिक्षा विभाग में, प्रोविडेंट फंड विभाग का बीमा विभाग में, और जागीर विभाग का राजस्व विभाग में विलय करने का निर्णय ले लिया जाएगा। इसी प्रकार भूमि व भवन कर विभाग को नागरिक भूमि परिसीमा विभाग के साथ मिला दिया जाएगा। इन विभागों के एकीकरण से प्रशासनिक व्यय में पर्याप्त बचत होगी। राजस्थान होटल निगम को भी भंग करने का विचार है। जिन उप-कोषालयों में बैंकों के माध्यम से लेन-देन होता है, वहां से पुलिस गार्ड हटा दिए जाएंगे। इन प्रयत्नों से वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रशासनिक खर्च में 5 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा है। विभिन्न करों की वसूलियों को तेज किया जाएगा तथा पुरानी बकाया राशियों को प्रभावशाली कदम उठा कर वसूल किया जाएगा। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियां होने की आशा है।

68. मितव्ययिता एवं करों तथा बकायों की वसूली से चालू वर्ष के अन्त तक 8.50 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्ति से कुल घाटा 52.61 करोड़ रुपये रह जाता है। माननीय सदस्य यह जानने को उत्सुक होंगे कि राज्य सरकार इस घाटे की पूर्ति किन उपायों द्वारा करेगी। चालू वर्ष के अन्त तक जितना भी घाटा रहेगा, वह हमारी सरकार को पिछले शासन की ओर से धरोहर के रूप मिला है। इस नाजुक एवं विषम वित्तीय स्थिति से कैसे निपटा जाय, यह हमारे लिये एक चुनौती है।

69. वित्त मंत्री का दायित्व है कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए वह आवश्यक वित्तीय साधनों का जुगाड़ करे। अतः अब इस वर्ष के कर-प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। इन प्रस्तावों को बनाते समय मेरा यह प्रयास रहा है कि इनका भार सामान्य नागरिक पर न पड़े।

कर प्रस्ताव

भूतपूर्व सरकार के निर्णयों का पुनरावलोकन

70. भूतपूर्व सरकार ने अपने अस्तित्व के अन्तिम दिनों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनको क्रियान्वित करना अनुचित होता। अतः वर्तमान सरकार ने उनका पुनरावलोकन किया है। इनमें से दो की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

कंकर, बजरी, आदि पर कर

71. कंकर, बजरी व सब प्रकार के इमारती पत्थर (संगमरमर को छोड़कर) पर बिक्री-कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान में कई प्रकार के बढ़िया व कीमती पत्थर निकलते हैं जिनका प्रयोग अपेक्षाकृत समृद्ध व्यक्तियों द्वारा आलीशान इमारतें बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कर की समाप्ति का लाभ केवल कुछ ठेकेदारों व अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को ही होता। जो गरीब मजदूर इन व्यवसायों में काम करते हैं उनका शोषण फिर भी यथावत चालू रहता। अतः इन वस्तुओं पर बिक्री-कर समाप्त करने का लाभ इन्हीं ठेकेदारों को मिलता। मेरा

(श्री आदित्येन्द्र)
प्रस्ताव है कि भूतपूर्व सरकार के उक्त निर्णय को निरस्त करते हुए यह कर पूर्ववत् लागू रहे। इससे लगभग 40 लाख रुपये की आय होगी।

भूमि एवं भवन कर

72. भूमि एवं भवन कर सन् 1973 से लागू है। वर्तमान में पचास हजार रुपये के मूल्य तक कोई कर नहीं है और इससे अधिक के मूल्य पर कर की दर आधा प्रतिशत है। भूतपूर्व सरकार ने इस कर को पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया था। छोटी आय के लोगों को राहत देने की बात मानी जा सकती है परन्तु समृद्ध लोगों को लाभ पहुंचा कर राज्य की आय गंवाना कोई समझदारी की बात नहीं कही जा सकती। अतः भूमि एवं भवन कर को कायम रखते हुए मेरा सुझाव है कि एक लाख रुपये तक मूल्य के भूमि एवं भवनों को कर से मुक्त किया जाय तथा तीन लाख के मूल्य तक आधा प्रतिशत, तीन लाख से अधिक व दस लाख के मूल्य तक एक प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक मूल्य पर डेढ़ प्रतिशत की दर से भूमि एवं भवन कर लगाने का प्रावधान कर दिया जाय। इस प्रस्ताव से एक करोड़ रुपये की हानि जो भूतपूर्व सरकार के निर्णय से होती वह 2.25 करोड़ रुपये की वार्षिक आय में परिवर्तित हो जायेगी। साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और कर का भार अधिकतर ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो इसे वहन करने की क्षमता रखते हैं। कर की ये परिवर्तित दरें 1-4-77 से ही लागू होंगी। इस संबंध में बजट प्रस्तुत करने के तुरंत पश्चात् मैं राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

वाणिज्यिक फसलों पर उपकर की समाप्ति

73. वाणिज्यिक फसलों पर उपकर (सेस) सन् 1975 में लगाया गया था। विधान सभा के गत सत्र में वित्त विधेयक पर बहस के समय कई माननीय सदस्यों ने इस उपकर को पूर्णतः समाप्त करने का सुझाव दिया था। काश्तकारों को भी इसकी वसूली की प्रक्रिया से काफी असुविधा हो रही है। अतः माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस उपकर को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में एक विधेयक जल्दी ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके कारण लगभग 60 लाख के राजस्व की हानि होगी।

क्लोरोक्विन कर-मुक्त

74. मलेरिया की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने क्लोरोक्विन नामक औषधि के देशव्यापी वितरण की योजना आरम्भ की है। यह औषधि उचित मूल्य पर राज्य के प्रत्येक भाग में जनता को प्राप्त होती रहे इस उद्देश्य से इसे बिक्री-कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

राज्य लाटरी की समाप्ति

75. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी से राज्य को समुचित आय नहीं हो रही है। वैसे भी राज्य सरकार लाटरी चला कर आय कमाए, इसका मैं

(श्री आदित्येन्द्र)

कोई औचित्य नहीं देखता। अतः मेरा प्रस्ताव है कि लाटरी की योजना को समाप्त कर दिया जाए। इससे लगभग 15 लाख की हानि होगी।

बिक्री-कर में कमी

76. रेडियो एवं ट्रांजिस्टर सेट पर 7 प्रतिशत बिक्री-कर है परन्तु उनके पुर्जे एवं उपसहायक (Parts and accessories) पर यह दर 12 प्रतिशत ही चली आ रही है जो युक्तिसंगत नहीं लगती। अतः रेडियो एवं ट्रांजिस्टर सेट के पुर्जे व उपसहायक पर बिक्री कर 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया जाना प्रस्तावित है।

77. तैयार वस्त्रों (Readymade Garments) पर 7 प्रतिशत बिक्री कर है परन्तु पन्द्रह रुपये तक के इस प्रकार के मिडियम व कोर्स कपड़े के बने हुए वस्त्र या सूट अभी कर मुक्त हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस छूट का दुरुपयोग हो रहा है। केश-मीमो तथा बही-खातों में गलत इन्द्राज करके कर की चोरी की जाती है। मिडियम व कोर्स कपड़े की पहचान करना भी कठिन है और इस सम्बन्ध में अनेक भ्रांतियां हैं जिनके कारण भी इस छूट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि पन्द्रह रुपये तक के मिडियम व कोर्स कपड़े के वस्त्रों की कर-मुक्ति को वापस लेने के साथ ही तैयार वस्त्रों पर बिक्री-कर की दर को 7 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

बिक्री कर की दरों का पुनरीक्षण

78. विभिन्न वस्तुओं पर समय-समय पर बिक्री-कर की दरें घोषित की जाती रही हैं, फिर भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं रह गई हैं जिनकी अलग से दर निर्धारित न होने से उन पर 7 प्रतिशत से कर देय होता है जब कि वस्तुस्थिति को देखते हुए उन पर 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत कर होना वांछनीय है। अतः मेरा सुझाव है कि निम्न वस्तुओं पर 10 प्रतिशत बिक्री-कर घोषित कर दिया जाए:—

(1) प्लाई वुड (Ply wood), कार्ड बोर्ड (Card board), स्ट्रा बोर्ड, (Straw board), हार्ड व सोफ्ट बोर्ड जिसमें फाइबर शीट सम्मिलित है (Hard and soft board including fibre sheets), बेटन बोर्ड (Batten board), ब्लॉक बोर्ड (Block board), लेदर बोर्ड (Leather board), इन्सूलेटिंग बोर्ड (Insulating board), वीनीयर्ड पेनल (Veneered panels), और सेलुलर वुड पेनल (Cellular wood panels)

(2) लिनोलियम और विट्रस व विट्रम टाइल्स (Linoleum and vitreous and vitrum tiles)

(3) रबराइज्ड कॉयर से बनी शीट, कुशन, पिलो, मेट्रेस व अन्य ऐसी वस्तुयें (Sheets, cushions, pillows, mattresses and other articles made of rubberised coir.)

(4) किसी भी नाम से प्रचलित सब प्रकार के ट्रेलर (All varieties of trailers by whatever name known)

(श्री आदित्येन्द्र)

(5) संगमरमर सभी रूपों में व संगमरमर की वस्तुएं (उनको छोड़कर जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों की सहायता से बनाई गई हों और जिनके निर्माण में भाड़े के मजदूर नहीं लगाये गये हों और किसी प्रकार की ऊर्जा शक्ति (power) का प्रयोग किसी भी स्तर पर नहीं किया गया हो, एवं संगमरमर की प्रति-मूर्तियां व मूर्तियां)

(6) कस्टर्ड (Custard), बेकिंग पाउडर (Baking powder) और आइस क्रीम पाउडर (Ice cream powder)।

(7) एलेक्ट्रिक टाइम स्विच (Electric time switches), मेकेनिकल टाइमर्स (Mechanical timers)

(8) वेक्यूम फ्लास्क के रिफिल (Refills of vacuum flask)

(9) टेलीप्रिन्टर (Teleprinters), कैश-रजिस्टरिंग मशीन (Cash registering machines), इनडेक्सिंग मशीन (Indexing machine), फ्रैंकिंग मशीन (Franking machines), कार्ड पंचिंग मशीन (Card punching machines), ऐड्रेसिंग मशीन (Addressing machines) तथा इनके कम्पोनेन्ट्स (Components), स्पेयर पार्ट्स (Spare parts) एवं एक्सेसरीज (Accessories)।

(10) एनलाग व डिजिटल किस्म के कम्प्यूटर (Computors of analog and digital varieties) तथा इनके पुर्जे।

(11) शीत यंत्र (Cooling appliances) व डीप फ्रीजर (Deep freezers)

(12) एलेक्ट्रोप्लेटेड (Electroplated), निकिल प्लेटेड (Nickle plated) और जरमन सिलवर (German silver) का सामान।

(13) सर्व प्रकार के बिजली के वेल्डिंग एलेक्ट्रोड व राड (Welding electrodes and rods)।

(14) साल्ट पीटर (Salt peter) और बारूद (Gun powder)।

79. उपरोक्त कारणों से ही निम्न-लिखित वस्तुओं के लिए बिक्री कर की दर 12 प्रतिशत की जाना प्रस्तावित है :—

1. इंडीगो (Indigo), अल्ट्रा मेराइन ब्ल्यू (Ultra marine blue), बेल आयल (Bale oil), डबल-बाइल्ड लिनसीड आयल (Double boiled linseed oil), थिनर (Thinners), पेण्ट-रिमूवर सब प्रकार के (Paint remover of all kinds).

2. साउण्ड रेकार्डिंग यंत्रों के सभी प्रकार के टेप (Tapes of all descriptions of sound recording apparatuses)।

3. सिनेमा कार्बन (Cinema Carbons)

4. फोटोग्राफी के रसायन व एलबम (Photographic chemicals and photographic albums)

5. टोबेको पाइप (Tobacco pipes) चिरूट पाइप (Cheroot pipes) सिगार व सिगरेट के होल्डर (Holders of cigar and cigarettes)।

(श्री आदित्येन्द्र)

6. एसबसटस (Asbestos) की सब प्रकार की वस्तुएं जिनमें फ्लेट व कोरूगेटेड शीट (Flat and corrugated sheets) सम्मिलित हैं।

80. कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका कि अभी बिक्री कर की दरों की सूची में स्पष्ट व सुतथ्य (precise) उल्लेख नहीं है। भविष्य में किसी प्रकार की भ्रांति न हो इसलिए अब उनका स्पष्ट व सुतथ्य उल्लेख कर देना उचित होगा। ये वस्तुएं तथा उन पर बिक्री-कर की दरें निम्न प्रकार हैं :—

1. सब प्रकार की मोटर बाडी (motor bodies) जिसमें मोटर वान, मोटर टैंकर, मोटर केरेवन, मोटर ट्रक व मोटर बस सम्मिलित है, चाहे चेसिस पर बनी हों या अलग — 10 प्रतिशत

2. सब प्रकार के रेकार्ड प्लेयर (record player) व रेकार्ड चेंजर (record changer) — 10 प्रतिशत

3. रूम कूलर (room cooler) व वाटर कूलर (Water cooler) — 10 प्रतिशत

4. इंटरकोम (intercoms) — 12 प्रतिशत

5. इमलशन पेन्ट (Emulsion paints) जिसमें एक्रिलिक (acrylic) व प्लास्टिक (plastic) इमलशन पेन्ट सम्मिलित हैं, सीमेंट पर आधारित वाटर कलर (cement based water colours) ड्राई डिसटेम्पर (dry distempers), तेल पर आधारित डिसटेम्पर (oil based distempers) सेलोलोज लेकर (Cellulose lacquers), एब्रेसिव पेपर (abrasive papers) — 12 प्रतिशत

बिक्री-करों की दरों में उपरोक्त परिवर्तन करने के फलस्वरूप लगभग 75 लाख रुपयों की अतिरिक्त आय होगी।

81. मद्य निषेध के क्षेत्र का विस्तार करने के कारण इस वर्ष में लगभग 60 लाख रुपए के राजस्व की हानि होगी। उपरोक्त सभी कर सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्मिलित प्रभाव के कारण राज्य की आय में लगभग 1.15 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

82. उपरोक्त कर प्रस्तावों से वर्ष के अन्त तक कुल 1.15 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान है। अतः कुल घाटा अब 51.46 करोड़ रुपये रह जाता है। पिछले वर्ष के 7.48 करोड़ के घाटे को इस घाटे में सम्मिलित करने के बाद चालू वर्ष के अन्त तक कुल घाटा 58.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस घाटे की पूर्ति के लिए हमने केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी से विचार-विमर्श किया है। हमें आशा है कि इस घाटे की पूर्ति हम केन्द्रीय सहायता द्वारा कर पायेंगे।

83 मेरी यह मान्यता है कि आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए जो भी विनियोजन राज्य सरकार के माध्यम से होता है उसका पूरा प्रतिफल आम जनता को मिलना चाहिए। विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति का भार मुख्यतः प्रशासनतन्त्र पर होता है और उसे प्रभावकारी एवं गतिशील बनाने के साथ-साथ लक्ष्यमूलक भी बनाना होगा। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि उनके विभाग से सम्बन्धित जो भी लक्ष्य निर्धारित किये जायं, उन्हें वह निर्धा-

(श्री आदित्येन्द्र)

रित समयावधि में पूरा करें। सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी की आशाएं और आकांक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। सभी छोटे बड़े राज्य कर्मचारियों का यह दायित्व है कि आम जनता की समस्याएं तथा कठिनाइयों को दूर करने में वे अपना पूर्ण सहयोग दें और जो परिवर्तन आया है उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझें। सरकार की जो नीतियां अथवा कार्यक्रम है, उन पर सच्चाई, ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा से अमल करें।

84. अब मैं दो शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगा। मेरा यह विश्वास है कि मानवीय अस्मिता को दारुण गरीबी के साथ–साथ वैचारिक गुलामी भी खंडित करती है। आज हमारे हाथ में जो सत्ता आई है, वह इन्हीं फटे हाल, गरीब एवं पिछड़े हुए किन्तु साहसी लोगों के मतदान से आई है। यह 'शांतिमय क्रान्ति' इन्हीं मेहनतकशों के खुरदरे हाथों का चमत्कार है। झुग्गी झोंपड़ियों से उगी इस क्रान्ति को हम भ्रष्ट प्रशासन व गन्दी राजनीति में अन्त नहीं होने देंगे। सत्ता परिवर्तन की सार्थकता इसी में है कि समाज का भौतिक, आर्थिक व बौद्धिक वैषम्य एवं असन्तुलन मिटाया जावे। हमारी यह कामना है कि हमारे राज्य के पिछड़े से पिछड़े आदमी को सामाजिक सम्मान के स्तर पर, आर्थिक सुविधाओं के स्तर पर एक नई स्वाभिमानपूर्ण प्रतिष्ठा मिले। जीवन के हर क्षेत्र में 30 वर्षों की रुकावट, निराशा, घुटन, विरक्ति एवं यथास्थिति समाप्त हो। हमारा राज्य नए उत्साह से, नई उमंग से, नए जोश से आगे बढ़े और आगे बढ़ने में राज्य की आम जनता का पूर्ण सहयोग एवं सहकार मिले।

85. श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वर्ष 1977–78 के परिवर्तित बजट अनुमान सदन के विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

विराम

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : मैं राजस्थान वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल बुधवार के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12-18 बजे, बुधवार दिनांक 7 सितम्बर, 1977 के मध्याह्न पूर्व 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।